न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा संख्या ::– 109/2016

1. प्यारेलाल पिता नाराण जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
2. रामचन्द्र पिता नाराण जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. सोहनलाल पिता नंदा जी जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
(फर्द बटवारा रिपोर्ट के अनुसार सोहनलाल कि मृत्यु होने से विधिक वारिसान)
1/1 मंजूबाई पुत्री सोहनलाल
1/2 मोहनीबाई पत्नि सोहनलाल
1/3 रमेश पुत्र सोहनलाल
1/4 बन्टी पुत्र सोहनलाल मृतक के विधिक वारिसान
1/4/1 लोकेश पुत्र बन्टी
1/4/2 माही ना.बा. माता मोहनी
1/4/3 मोहनी पत्नि बन्टी
2. सुरेश पिता नंदा जी जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
3. छोटुलाल पिता नंदा जी जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
4. लीलाराम पिता नंदा जी जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
5. सीमाबाई पिता नंदा जी जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
6. लीलाबाई पिता नंदा जी जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
7. श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री के.सी.मंत्री
अधिवक्ता वादीगण
श्री एस.एन.माली
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 24.12.2024

निर्णय वाद अ.धा. 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वादपत्र अ.धा. 53 राज.काश्त.अधि. का अधिवक्ता श्री के.सी.मंत्री द्वारा प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा सूलीमंगरा प0ह0 बेगूँ की वर्तमान जमावंदी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 53 में वादीगण हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी सं0 1 से 6 का हिस्सा 1/2 अनुसार संयुक्त खातेदारी में निम्नलिखित आराजीयात अंकित स्थित है:–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
78	0.2400
79	0.2500
80	0.2900
81	0.2600
88	0.2700
89	0.2700
90	0.3000
91	0.1800
97	0.1600
किता–9	2.2200 हैक्टर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त ...जी काश्त की होकर विधि अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 से 6 के ...ध्य विभाजन नहीं हुआ है। मौके पर दोनो पक्ष पृथक पृथक काबिज हो काश्त कर रहे है। उक्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी में होने से आये दिन काश्त करने फसल लेने एवं अन्य कृषि कार्यो के समय आपस में मन मुटाव होता रहता है जिसके स्थाई समाधान हेतु वादीगण ने तहसील कार्यालय में चल कर विधिवत बंटवारा करा राजस्व रेकार्ड में अंकन कराये जाने हेतु प्रतिवादी सं0 1 से 6 को दिनांक 22.05.2016 को कहा तो उन्होने मना कर दिया जिससे वादीगण को यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण वास्ते बंटवारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई । वाद कारण दिनांक 22.05.2016से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

प्रतिवादी संख्या 7 भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बंटवारा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है।

यह कि वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करते है कि:–

अ– कि पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का दर्ज हिस्सा अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का मौके पर काबिज अनुसार विभाजन किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जावें। बाद हिस्सा विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से की आराजीयात का राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक अंकन किये जाने की भी आज्ञप्ति प्रदान की जावें।

ब– कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादीगण हो प्रदान कराया जावें।

दावा न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एन.माली द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को कभी भी तहसील में चलकर बंटवारा करवाने की नहीं कहा है वादीगण द्वारा गलत बयानी की है। पत्रावली में प्रतिवादी सं. 6 न्यायालय में उपस्थित आए किन्तु वाद में न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए ना ही कोई जवाबदावा प्रस्तुत किया है, प्रतिवादी संख्या 7 भूमिधारी दावा अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है वह फोर्मल पक्षकार होने से उनका जवाब दावा पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत होने पर निम्न लिखित तनकी पत्र पृथक से कायम कर शामिल पत्रावली किया गया जो निम्न प्रकार से है:–

1– आया मौजा सूलीमंगरा प0ह0 बेगूँ के खाता संख्या 53 में दर्ज आराजी संख्या 78, 79, 80, 81, 88, 89, 90, 91, 97 किता–9 कुल रकबा 2.2200 हैक्टर भूमि का वादीगण अच्छी से अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का माके पर काबिज अनुसार विभाजन कराने तथा बाद हिस्सा विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से की आराजी को राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक अंकन कराने के अधिकारी है?

2– आया वादीगण का वाद गलत होकर अस्वीकार है यह कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को कभी नहीं कहा कि तहसील में बंटवारा करने के लिए चला जाय वादीगण ने गीलत बयानी की है। वाद वर्णित दाद वादीगण के मुताबिक होने से अस्वीकार होने योग्य है,

तनकी पत्र कायम किये जाने के पश्चात वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी में शपथ पत्र वादी प्यारेलाल पिता नारायण का दिनांक 18.9.2019 को प्रस्तुत किया तथा वादी प्यारेलाल ने अपने बयान दिनांक 14.10.2019 को कलमबद्ध कराये तथा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया जिरह में वादी गवाह ने कहा कि आराजीयात पर कब्जानुसार अलग अलग बैठे हुए है। तथा जमाबंदी अनुसार हिस्सा अलग अलग किया जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

पत्रावली में वादी साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं गई है। पत्रावली में साक्ष्य पूर्ण होने पर उभयपक्ष की बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस वादपत्र अनुसार करते हुए वाद वर्णित आराजीयात का विभाजन हिस्सा अनुसार व कब्जेअनुसार किये जाने हेतु निवेदन किया जबकि अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण ने हम प्रतिवादीगण को कभी भी बंटवारा कराने की नहीं कहा है। बहस उभयपक्ष की सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया जो प्रदर्श–1 है नकल जमाबंदी में वाद वर्णित आराजीयात मौजा सूलीमंगरा की आराजी संख्या 78, 79, 80, 81, 88, 89, 90, 91, 97 किता–9 कुल रकबा 2.2200 हैक्टर भूमि में वादीगण प्यारेलाल रामचन्द पिता नारायण का हिस्सा 1/2 दर्ज अंकित है जिसे अलग करा पाने के वादीगण अधिकारी पाये जाते है। चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है ना ही अपने जवाबदावे की ताईद में कोई ठोस प्रमाण ही प्रस्तुत किया है जिससे वाद में कायम तनकी अनुसार निर्णय नहीं किया जाकर वादीगण के पक्ष में तनकी संख्या 1 निर्णित की जाती है।

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर दावा प्राथमिक डिकी जाता है मौजा सूलीमंगरा की आराजी संख्या 78, 79, 80, 81, 88, 89, 90, 91, 97 किता–9 कुल रकबा 2.2200 हैक्टर भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1से 6 तक का हिस्सा 1/2 अनुसार कृषि आराजीयात का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर व कब्जेअनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ को 1000/–रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार, बेगूँ को प्राथमिक डिकी की प्रति भिजवाते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त वर्णित आराजीयात का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य करते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में न्यायालय में भिजवावें।

उक्त प्राथमिक डिकी की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र कमांक/873 दिनांक 09.12.2024 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिकी किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिकी किया जाता है, मौजा सूलि मगरा पटवार बेंगूँ की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– श्री प्यारेलाल पुत्र नाराण माली हिस्सा 1/2, रामचन्द्र पुत्र नाराण माली हिस्सा 1/2 सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकवा हैक्टर	किस्म	लगान
78	0.2400	–	–
80मेसे	0.2800	–	–
88	0.2700	–	–
97	0.1600	–	–
91	0.1600	–	–
कीता– 01	1.1100 हैक्टर	–	–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

तिवादीगण का हिस्सा जमाबंदी अनुसार :-

तिवादी सं. 1 सोहनलाल पिता नंदा माली कि मृत्यु होने से

/2- बन्दी पुत्र सोहन कि मृत्यु होने से लोकेश, माली ना. बा. माता मोहनी बाई व मोहनी बाई पति बन्दी हिस्सा 1/24, मंजु पुत्री सोहनलाल, हिस्सा 1/24, मोहनीबाई पति सोहनलाल, हिस्सा 1/24, रमेश पुत्र सोहनलाल हिस्सा 1/24, लीलाराम पिता नंदा हिस्सा 1/6, सुरेश पुत्र नंदा हिस्सा 1/6, सीमाबाई पुत्री नंदा हिसा 1/6, श्रीमति ललिता पति पारस कुमार माली हिस्सा 1/3 सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
79	0.2500	–	–
81	0.2600	–	–
80 मेरो	0.0100		
89	0.2700		
91 मेरो	0.0200		
90	0.3000		
कीता- 06	1.1100 हैक्टर		

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा संख्या :– 109/2016

1 प्यारेलाल पिता नाराण जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
2 रामचन्द्र पिता नाराण जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
वादीगण

बनाम

1 सोहनलाल पिता नंदा जी जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
(फर्द बटवारा रिपोर्ट के अनुसार सोहनलाल कि मृत्यु होने से विधिक वारिसान)
1/1 मंजूबाई पुत्री सोहनलाल
1/2 मोहनीबाई पत्नि सोहनलाल
1/3 रमेश पुत्र सोहनलाल
1/4 बन्टी पुत्र सोहनलाल मृतक के विधिक वारिसान
1/4/1 लोकेश पुत्र बन्टी
1/4/2 माही ना.बा. माता मोहनी
1/4/3 मोहनी पत्नि बन्टी
2 सुरेश पिता नंदा जी जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
3 छोटुलाल पिता नंदा जी जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
4 लीलाराम पिता नंदा जी जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
5 सीमाबाई पिता नंदा जी जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
6 लीलाबाई पिता नंदा जी जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
7 श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ
प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने एवं प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता एस.एन.माली की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 24.12.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस सहायक कलक्टर, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा सूलि मगरा पटवार बेंगूँ की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1– श्री प्यारेलाल पुत्र नाराण माली हिस्सा 1/2, रामचन्द्र पुत्र नाराण माली हिस्सा 1/2 सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
78	0.2400	–	–
80मेसे	0.2800	–	–
88	0.2700	–	–
97	0.1600	–	–
91	0.1600	–	–
कीता– 05	1.1100 हैक्टर	–	–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

तिवादीगण का हिस्सा जमांबदी अनुसार :–

वादी स. 1 सोहनलाल पिता नंदा माली कि मृत्यु होने से

2– बन्टी पुत्र सोहन कि मृत्यु होने से लोकेश, माही ना. बा. माता मोहनी बाई व मोहनी बाई पति बन्टी हिस्सा 1/24, मंजु पुत्री सोहनलाल, हिस्सा 1/24, मोहनीबाई पत्नि सोहनलाल, हिस्सा 1/24, रमेश पुत्र सोहनलाल हिस्सा 1/24, लीलाराम पिता नंदा हिस्सा !/6, सुरेश पुत्र नंदा हिस्सा 1/6, सीमाबाई पुत्री नंदा हिसा 1/6, श्रीमति ललिता पति पारस कुमार माली हिस्सा 1/3

सा. पेट खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
79	0.2500	–	–
81	0.2600	–	–
80 मेसे	0.0100		
89	0.2700		
91 मेसे	0.0200		
90	0.3000		

कीता– 06 1.1100 हैक्टर

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं